XIV-Form No. 563.

16

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

आपूर्ति अपील वाद संख्या–21/2010

दिनेश कुमार रजक, पिता–श्री रामेश्वर रजक, साकिन–रानीपतरा, थाना–सदर मुफस्सिल, जिला–पूर्णियाँ.....

आवेदक

बनाम्

राज्य.....

विपक्षी

आदेश

आवेदक अनुमंडल पदाधिकारी, सदर द्वारा पत्रांक 932/आ0, दिनांक 29.12.2009 के आलोक में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विक्रेता है, जिसकी अनुज्ञप्ति संख्या–52/2007 है। आवेदक का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर द्वारा आरोप लगाया गया कि भौतिक सत्यापन के कम में अन्त्योदय, बी0पी0एल0 एवं अन्नपूर्णा योजना का अनाज भंडार में अलग–अलग नहीं रखा हुआ था। अन्त्योदय योजना की भंडार पंजी दिनांक 26.08.2009 से 28.08.2009 तक खाली था। साथ ही बिक्री पंजी भी अधूरा था। इसके अतिरिक्त भंडार में 3.25 क्वींटल गेहूँ, 17.19 क्वींटल चावल एवं 174 लीटर किरासन तेल कम पाया गया। आवेदक ने इस संबंध में दो बार कारण पृच्छा भी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया था। आवेदक का कथन है कि भंडार के सत्यापन के कम में अनुमान के आधार पर कमी दिखाया गया, जबकि भंडार में स्टॉक पंजी के अनुसार खाद्य सामग्री एवं तेल मौजूद था। दिनांक 27.08.2009 से 28.08.2009 तक सामग्री वितरण नहीं हुई थी, इसलिये वह खाली था। फिर भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा को नजर अन्दाज कर आवेदक के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। आवेदक द्वारा खाद्यान्न एवं तेल की कालाबाजारी भी नहीं की गयी है और न ही जन वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंधन किया गया है। अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि निम्न न्यायालय से अभिलेख मंगवाकर एवं वाद की सुनवाई करते हुए न्याय करने की कृपा की जाय।

दिनांक 11.11.2011 को सुनवाई की गयी। ओदक का कहना है कि विभागीय निदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द में से एक ही कार्रवाई किया जा सकता है। परन्तु अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा दुकान को पहले निलंबित कर बाद में रद्द किया गया, जो अवैध है।

इस संबंध में विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि जन वितरण प्रणाली का दुकान के संचालन में पायी गयी गंभीर अनियमितता, अनुज्ञप्ति के शर्त्तो का उल्लंधन है। इस आधार पर ही अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया, जो नियम संगत है। इस संबंध में विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा कहा गया कि अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने में से एक ही कार्रवाई करने का निदेश विभाग द्वारा दिनांक 04.02.2011 को निर्गत किया गया है एवं तत्संबंधी संशोधन सार्वजनिक जन वितरण (नियंत्रण) संशोधन आदेश–2011 के द्वारा दिनांक 23.06.2011 को किया गया है। इस आदेश का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है। इसलिये आवेदक का कथन मानने योग्य नहीं

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

है।

पुनः दिनांक 30.03.2012 को सुनवाई हेतु रखा गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा किये गये कार्रवाई नियम संगत है एवं इस आदेश में किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय के साथ आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/3/12

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णियाँ

30/3/12

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णियाँ